कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

संख्या 6518-6557 / टास्क फोर्स–43 / ऑनलाइन / आयल कम्पनी / ऐब्सोल्यूट अल्कोहल / 2018–19

दिनांकःलखनऊःदिसम्बर, 26 ,2019

समस्त सहायक आबकारी आयुक्त,
अपेय एवं मिश्रित आसवनियाँ, उ0प्र0।

विषयः– प्रदेश के बाहर अवस्थित Oil Mixing Depots (OMDs) जो उत्तर प्रदेश से पावर अल्कोहल प्राप्त करने के इच्छुक हैं, की समस्त प्रकिया के ऑनलाइन किये जाने के सम्बन्ध में ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अवगत कराना है कि प्रदेश के बाहर अवस्थित Oil Mixing Depots (OMDs) को पावर अल्कोहल आपूर्ति की सम्पूर्ण प्रकिया को ऑनलाइन करने हेतु पोर्टल पर आवश्यक व्यस्थाएँ कर ली गई हैं। तद्क्रम में यूजर मैनुअल की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि प्रदेश के बाहर अवस्थित OMDs की एथेनॉल (पावर अल्कोहल) आपूर्ति हेतु निम्नवत् प्रकिया अपनाई जायेगीः–

(i) आपूर्तक आसवनियों द्वारा प्रदेश के बाहर अवस्थित उन OMDs जिनको उनके द्वारा पावर अल्कोहल प्रेषित किया जाना है एवं अद्यतन पंजीकरण नहीं हुआ है, के सम्बन्ध में सूचना निम्न्वत् निर्धारित प्रारूप (सम्बन्धित सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा) पर Excel format में ईमेल द्वारा taskupexcise@gmail.com पर प्रेषित की जायेगी। उक्त माध्यम से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर Registration टास्क फोर्स अनुभाग द्वारा किया जायेगाः–

Sr. No.	Location Name	Address	Name/ Designation	Email ID of person in charge	Mobile No. of Concerned person
1	2	3	4	5	6

(ii) Registration के उपरान्त ऐसी समस्त OMDs को Login details उनके email ID एवं मोबाइल नं0 पर SMS द्वारा प्राप्त हो जाएँगे, जिसके माध्यम से Login कर OMD द्वारा इन सूचनाओं का परीक्षणोंपरान्त यथावश्यक संशोधन कर सत्यापन किया जायेगा।

(iii) प्रत्येक Distillery के Login से उनसे सम्बन्धित समस्त OMDs, जो उनको Drop down में दिखेंगी, के tender document की PDF File अपलोड कर टेन्डर संदर्भ संख्या, 31 मार्च, 2020 तक आवंटित मात्रा आदि भरे जायेंगे।

(iv) इन सूचनाओं का सत्यापन सम्बन्धित आपूर्तक इकाई के सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा किया जायेगा एवं तत्पश्चात् उप आबकारी आयुक्त (वितरण) को अभिमत सहित अग्रसारित या Query सहित आसवनी को Revert Back किया जाएगा।

(v) उप आबकारी आयुक्त (वितरण) परीक्षण उपरान्त प्रत्येक आवेदन को अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन) को अभिमत सहित अग्रसारित या Query सहित सम्बन्धित सहायक आबकारी आयुक्त को Revert Back किया जाएगा।

(vi) अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन) परीक्षण उपरान्त प्रत्येक आवेदन को आबकारी आयुक्त को अभिमत सहित अग्रसारित या Query सहित उप आबकारी आयुक्त (वितरण) को Revert Back किया जाएगा।

(vii) आबकारी आयुक्त संदर्भित आवेदन को अनुमोदित / निरस्त / Query सहित अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन) को Revert Back कर सकेंगे। आयुक्त महोदय के अंतिम अनुमोदन के उपरान्त OMDs को 31 मार्च 2020 तक सम्बन्धित आसवनियों के सापेक्ष आवंटित मात्रा उनके Login पर प्रदर्शित होने लगेगी।

Scanned by CamScanner

(viii) नये इण्डेण्ट हेतु OMD अपने Login से आपूर्तक इकाई, जो उनको Drop down में दिखेंगी, का चयन करके demand-application देगा जिसमें उसके द्वारा एथेनॉल की मात्रा, एथेनॉल का प्रकार आदि भरे जायेंगे एवं सम्बन्धित प्रदेश में आबकारी विभाग का नियंत्रण होने की स्थिति में Import Permit तथा आबकारी विभाग का नियंत्रण न होने की स्थिति में उक्त के सम्बन्ध में शपथ/आदेश पत्र Upload किया जायेगा।

(ix) यह Indent आपूर्तक इकाई द्वारा स्वीकार किये जाने के उपरान्त सम्बन्धित सहायक आबकारी आयुक्त के Login पर प्रदर्शित होगा, जिनके अनुमोदन के उपरान्त सम्बन्धित मात्रा हेतु PAMR-1 आसवनी के Login से तथा PD-25/26 पास सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किया जायेगा।

(x) प्रदेश के सीमान्तर्गत यानान्तरण की आवश्यकता/वैधता बढ़ाने के सम्बन्ध में PAMR-3 हेतु आवेदन आपूर्तक इकाई द्वारा किया जायेगा। यह आवेदन सम्बन्धित स्थान के जिला आबकारी अधिकारी को उनके Login पर प्रदर्शित होगा। जिला आबकारी अधिकारी/ आबकारी निरीक्षक द्वारा सम्बन्धित स्थान पर पहुँच कर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त PAMR-3 जिला आबकारी अधिकारी के Login से जारी किया जाएगा।

(xi) इस PAMR-3 का आपूर्तक इकाई के सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा परीक्षण करने के उपरान्त आसवनी को अग्रसारित किया जायेगा।

(xii) आसवनी द्वारा उक्त PAMR-3 के सापेक्ष PAMR-2 जारी किया जाएगा।

(xiii) प्रदेश के बाहर यानान्तरण/वैधता बढ़ाने के स्थिति में परिवाहक द्वारा स्थानीय प्राधिकारियों से उक्त के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा। उक्त प्रमाण–पत्र के सापेक्ष PAMR-3 हेतु आवेदन आपूर्तक इकाई के Login से किया जाएगा।

(xiv) उक्त का परीक्षण करने के उपरान्त सम्बन्धित आसवनी के सहायक आबकारी आयुक्त अपने Login से PAMR-3 जारी करेंगे।

(xv) इस PAMR-3 के सापेक्ष आसवनी द्वारा PAMR-2 जारी किया जाएगा।

(xvi) PAMR-1/ PAMR-2 की प्राप्ति डिपो द्वारा पोर्टल पर की जानी है। प्राप्ति हेतु एक भिन्न पेज की व्यवस्था पोर्टल पर की जायेगी जिसमें data of arrival तथा date of decantation अंकित करने की सुविधा होगी जिसके लिए PAMR प्रोफार्मा पर बिन्दु 18(a) जोड़ा जायेगा जिसमें decantaion की quantity, alcoholometer indication, temperature एवं strength की प्रविष्टियॉ भरी जाएँगी।

(xvii) यदि डिपो द्वारा प्राप्त पावर अल्कोहल के सैम्पल का परीक्षण digital alcoholometer द्वारा किया जाता है तो alcoholometer indication, temperatur का भरा जाना अनिवार्य नहीं होगा अपितु केवल तीव्रता का कॉलम भरा जाना होगा।

(xviii) अन्तिम तीन PAMR-1/ PAMR-2 की प्राप्ति पोर्टल पर पूर्ण न किये जाने की स्थिति में नया indent लगाना या पूर्व में लगे indents के सापेक्ष उक्त डिपो को निकासी सम्भव नहीं होगी।

(xix) Indent foreclosing का विकल्प भी पोर्टल पर उपलब्ध होगा।

(xx) बी हेवी एवं सी हेवी शीरे से निर्मित पावर अल्कोहल के टैंकों का पोर्टल पर आसवक द्वारा अलग–अलग चिन्हिकरण किया जाना एवं प्रारम्भिक सूचनाएँ अंकित किया जाना एवं सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा सत्यापित किये जाने के उपरान्त ही सम्बन्धित टैंक से निकासी दी जायेगी।

(xxi) आसवक द्वारा निकासी के समय बी हेवी एवं सी हेवी पावर अल्कोहल को select कर निकासी दी जायेगी, जिसके उपरान्त पोर्टल पर स्वतः टैंको के संचय की स्थिति update होती रहेगी।

Scanned by CamScanner

(xxii) वर्तमान में PAMR अभिलेखों में आसवक के DSC का प्राविधान विकसित न होने की स्थिति में उसके प्रतिनिधि के Physical signature से निकासी दी जायेगी एवं DSC के प्रयोग का विकल्प दिनांक 05.01.2020 से अनिवार्य किया जाना प्रस्तावित है।

(xxiii) इसी प्रकार OMD पर प्राप्ति का विवरण भी दिनांक 05.01.2020 से DSC के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है।

(xxiv) आसवनी द्वारा 01.12.2019 से लिए गये समस्त निर्यातादेशों का Historical data पोर्टल पर भराना सुनिश्चित किया जाय।

उपरोक्त निर्देशों को अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोपरि।

(पी0 गुरू प्रसाद)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या 6558-6706/टास्क फोर्स–43/ऑनलाइन/आयल कम्पनी/ऐब्सोल्यूट अल्कोहल/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर आबकारी आयुक्त, (प्रशासन), उ0प्र0।
2– अपर आबकारी आयुक्त (लाइसेंसिंग एवं औद्योगिक विकास), उ0प्र0।
3– समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स, उ0प्र0।
4– समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार, उ0प्र0।
5– समस्त उप आबकारी आयुक्त, मुख्यालय।
6– समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उ0प्र0।
7– समस्त पावर अल्कोहल आपूर्तक आसवनियॉं, उ0प्र0।
8– मेसर्स प्रोसिक्स इन्फोटेक प्रा0लि0,2/126, विशाल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

Chandra 26.12.2019

(हरिश्चन्द्र)
संयुक्त आबकारी आयुक्त,
टास्क फोर्स।

Scanned by CamScanner